ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿಟಿಯು ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೯೪ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

Visvesvaraya Technological University

(State University of Government of Karnataka Established as per the VTU Act, 1994)

"Jnana Sangama" Belagavi-590018, Karnataka, India

Prof. B. E. Rangaswamy, Ph.D.
Registrar

Phone No: (0831) – 2498100
Fax No. : (0831) - 2405467

Ref. No.: VTU/Reg/PS/2023-24/ 1313

Date: 12 JUN 2023

Circular

Sub: Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions

Ref: 1) D.O. Letter No. F. 1-15/2009 (ARC) pt-III dated 25-5-2023 from UGC, New Delhi
2) Vice-Chancellor's order dated 10-6-2023

With reference to the above this is to inform that the University Grants Commission notified "Regulations on Curbing the Menace of Raging in Higher Educational Institutions, 2009" in its website www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions in the country.

A letter in this regard received from the UGC (ref.1 above) is enclosed herewith for your information and strict implementation of these regulations in your institution.

By Order,

Ra... 12/06/23

Registrar

Encl: As above

To

1) The Principals of all Engineering Colleges (Constituent, Affiliated and Autonomous) under VTU.
2) The Chairpersons/Programme Coordinators of all PG Departments of VTU.

Copy to:

1) The Regional Director (I/c), VTU Regional Offices at Bengaluru, Belagavi, Kalaburagi & Mysuru.
2) Prof. S.B. Halabhavi, Special Officer, VTU, Belagavi for information to attend the live webinar.
3) The Secretary to VC, VTU, Belagavi.

Regional Director
VTU. RO, Bengaluru

प्रा. मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

G20
भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O. No.1-15/2009 (ARC) pt.III **25th May, 2023/** 04 ज्येष्ठ, 1945

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions in the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are some recommendations and action steps which are required to be deployed in your esteemed university and all institutions under your ambit.

A. Basic Measures:

1. Constitution of anti-ragging committee, anti-ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. Mention of anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets /brochures shall be ensured.
3. To create E-admission booklet or brochure, E-leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted students instead of print/hard copy of your institutions.
4. Updating websites of institutions with the complete address and contact details of nodal officers related to anti-ragging committee.
5. In compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
6. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:

   "3. (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.",

7. Installing CCTV cameras at vital points.

B.Counseling and monitoring measures

1. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
2. Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident shall be undertaken.

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

D. Using other UGC initiated measures

1. Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline **1800-180-5522 (24x7 Toll Free)** or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.

2. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in.

3. UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and UGC has got developed the following entities to promote anti-ragging which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

   a. UGC has developed 05 TVCs of 30 seconds each from different perspective i.e. Parents, Victim and Offenders.

   b. UGC has designed and distributed posters amongst Universities/Regulatory Authorities/Councils/IITs/NITs/Other educational institutions for the prominent display. (Copy attached).

   c. UGC has consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty /general public for the wider awareness of the menace of ragging.

You are requested to adopt these steps and to implement the recommendations of the committee on "Psychosocial Study of Ragging in Selected Educational Institutions in India" (available on UGC website).

You are also requested to implement the revised procedure for students to file online Anti-Ragging affidavit. The student will receive an e-mail with his/her registration number. The student will forward that e-mail to the Nodal officer in his/her university/college e-mail. **(Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as it used to be in the earlier case).**

Universities/Colleges have to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti-Ragging Committee of their university/college on their website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities, etc.

Universities and Colleges are requested to insert a mandatory column in their university/colleges admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:	

Universities are also requested to fill online compliance on www.antiragging.in and also immediately instruct all the colleges under their purview to follow it.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

The Vice-Chancellor of all Universities

The Principal of all Colleges

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

अ०शा० पत्र सं० 1-15/2009 (एआरसी) भाग. III 25 मई, 2023/04 ज्येष्ठ, 1945

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर विनियम, 2009" अधिसूचित किया है। सभी विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। ये विनियम देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य हैं।

चूंकि रैगिंगरोधी परिसर सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों की आवश्यकता होती है, यहां कुछ सिफारिशें और कार्रवाई के लिए कुछ क्रिया-कलाप अनुसंशित किये गए है जिन्हें आपके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और आपके क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है।

—) बुनियादी उपाय:

1. रैगिंगरोधी समिति का गठन, रैगिंगरोधी दस्ते का गठन, रैगिंगरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्थान की विवरणिका और सूचना पुस्तिकाओं ।
3. अपने संस्थानों के मुद्रण (हार्ड कॉपी) के स्थान पर प्रवेशित विद्यार्थियों को रैगिंग के मामले में मार्गदर्शन पर विवरण देने वाली ई-प्रवेश पुस्तिका या ई-पत्रक (ब्रोशर) बनाने की व्यवस्था करना।
4. रैगिंगरोधी समिति से संबंधित नोडल अधिकारियों के पूर्ण पते और संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अद्यतन किया जाए।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और द्वितीय संशोधन के अनुपालन में तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा संकल्प- पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में रैगिंग की परिभाषा का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है:

'3 (त्र) किसी भी छात्र को (नवीन या अन्य) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभयलैंगिक सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाहय स्वरूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य।'

7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

वसुधैव कुटुम्बकम
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

ख) परामर्श और निगरानी के उपाय:

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और उपद्रव करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीनों, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंडों और किसी भी अन्य उपाय का औचक निरीक्षण, जो रैगिंग और किसी भी अवांछित व्यवहार/घटना को रोकने/निवारण करने में सहायक होगा।

ग) रैगिंगरोधी परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:

1. इस विचार को प्रसारित करने के लिए रैगिंगरोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अन्य रचनात्मक मार्गों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा और सुरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से तैनात किया जा सकता है।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्य उपायों के उपयोग की शुरुआत:

1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण परेशान विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंगरोधी हेल्पलाइन न० 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंगरोधी हेल्पलाइन help@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

2. रैगिंग के बारे मे किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in देखें।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न तरीकों से रैगिंगरोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं विकसित की हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में 30-30 सेकंड के 05 टीवीसी को अलग-अलग दृष्टिकोण से विकसित किया है।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्य प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालयों/नियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच पोस्टर डिजाइन और वितरित किए हैं। (प्रतिलिपि संलग्न)।

ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के खतरे के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए विद्यार्थियों/संकाय/आम जनता के लिए लगातार 02 रैगिंगरोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

आपसे अनुरोध है कि इन चरणों का अनुसरण करें और "भारत के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के मनोसामाजिक अध्ययन" पर समिति की सिफारिशों को लागू करें जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंगरोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। विद्यार्थी को अपनी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ई-मेल में नोडल अधिकारी को

अग्रेषित करेंगे । (**कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ हलफनामा प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है,**

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों, विभाग, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधाओं आदि पर अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंगरोधी समिति के नोडल अधिकारी के ई-मेल पते और संपर्क संख्या को प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के प्रवेश फॉर्म में अनिवार्य कॉलम समाविष्ट करें:

रैगिंगरोधी संदर्भ संख्या:	

विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध है कि वे www.antiragging.in पर ऑनलाइन अनुपालना भरें तथा अपने दायरे में आने वाले सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए तत्काल निर्देश दें।

सादर,

भवदीय

(मनिष जोशी)

सभी विश्वविद्यालयों
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य
संलग्नकःयथोपरि